

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर

111/1/370

क्रमांक एफ-4/मु./याता/(लेखा-25)/2019/389 दिनांक:- 3-10-2019

कार्यालय-आदेश

विषयान्तर्गत बुकिंग एजेंट लगाने के सम्बन्ध में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ-4/मु./याता/लेखा/2012/1866 दिनांक 12.12.2011 के परिशिष्ट 'अ' पर उल्लेखित शर्त सं. 1 में राशि रु. 1.50 लाख मासिक राजस्व तक के स्थान पर राशि रु. 5.00 लाख मासिक राजस्व तक संशोधित की जाती है। साथ ही रु. 5.00 लाख मासिक राजस्व से अधिक के प्रकरण अपनी अभिशंषा के साथ मुख्यालय को अनुमति हेतु प्रेषित किये जाये।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(मू.डी.खान) 1/10/19

कार्यकारी निदेशक (यातायात)

क्रमांक एफ-4/मु./याता/लेखा(25)/2019/389 दिनांक :- 3-10-2019  
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर
2. समस्त विभागाध्यक्ष ( ) राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।
3. समस्त महा प्रबन्धक, /संयुक्त महा प्रबन्धक( ) राजस्थान परिवहन निगम, मु0 जयपुर
4. निगम सचिव रा0 परि0 निगम मु0 जयपुर।
5. उप महा प्रबन्धक ( सांख्यिकी / बजट / टिकिट / अंकेक्षण ) राज0 परि0 नि0, मु0 जयपुर।
6. ✓ उप महा प्रबन्धक (आई.टी) राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वर्णित आदेश वेबसाईट पर उपलब्ध करावें।
7. जोनल मैनेजर राजस्थान परिवहन निगम.....जोन।
8. कार्यकारी प्रबन्धक, (जनसम्पर्क) / संचालन / ( ) रा.प.नि. मुख्यालय जयपुर।
9. सहा0. लेखाधिकारी, ( टिकिट / अंकेक्षण ) राजस्थान परिवहन निगम मुख्यालय जयपुर।
10. समस्त मुख्य प्रबन्धक, / प्रबन्धक. ( वित्त ) राज0 परि0 निगम.....आगार।
11. आदेश पत्रावली।